फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पावटा

प्रकरण संख्या .....59/2023 गुराड़ेवी बनाम मोहनदास

क. संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	वि.
	2.2.26	पत्रावली पेश। नगर निर्माण विभाग की तरफ से कोई उपस्थित नहीं। आपसी समय के दौरान बार-बार आवाज लगाने के बाद भी नगर निर्माण विभाग की तरफ से कोई उपस्थित नहीं आने के कारण नगर निर्माण विभाग का वाद पत्र अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो बाद डायरी दफ्तर हो।	

उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली-बहरोड़)